



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19042021-226691
CG-DL-E-19042021-226691

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 223]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 19, 2021/चैत्र 29, 1943

No. 223]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 19, 2021/CHAITRA 29, 1943

गृह मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2021

सा.का.नि. 280(अ).—भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. 552(अ), तारीख 11 सितम्बर, 2020 जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) तारीख 11 सितम्बर, 2020, में प्रकाशित की गई थी, में पृष्ठ संख्या 2 पर, कम संख्या-5 में **चिकित्सीय दृष्ट्या योग्यता**—“इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में यथा विनिर्दिष्ट चिकित्सा प्रवर्ग श्रेण-1, में हैं, इन नियमों के अधीन **नियुक्ति** के लिए पात्र होंगे”। के स्थान पर **चिकित्सीय दृष्ट्या योग्यता**— इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में यथा विनिर्दिष्ट चिकित्सा प्रवर्ग श्रेण-1, में हैं, इन नियमों के अधीन **पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति** के लिए पात्र होंगे” को पढ़ें।

2. राजपत्र अधिसूचना की अन्य विषयवस्तु अपरिवर्तित रहेगी।

[फा. सं. I.12012/02/2018—संगठन]

पी. वेनुकुट्टन नायर, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 16th April, 2021

G.S.R. 280(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs, number G.S.R. 552(E), dated 11th September, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), dated 11th September, 2020, at page number 04, in Serial No. 5 for **Medical Fitness**.— “Notwithstanding anything contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I, as specified in Health Care System in Central Armed Police Forces, shall be eligible for **appointment on deputation**” read **Medical Fitness**.— “Notwithstanding anything contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I, as specified in Health Care System in Central Armed Police Forces, shall be eligible for **appointment on promotion or deputation under these rules**.”

2. The other contents of the Gazette Notification shall remain unchanged.

[F. No. I.12012/02/2018-Org]

P. VENUKUTTAN NAIR, Under Secy.